

**कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

—: कार्यालयीन आदेश :—

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.08.2026

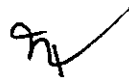
क्रमांक 129 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2026 :- छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-1/2024/34-1 दिनांक 26.09.2024 से वित्त विभाग का जावक क्रमांक 1210/सी.एन. बजट-2/वित्त/चार/2024, दिनांक 20.09.2024 द्वारा प्राप्त अनुमति के परिपालन में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 1130/स्था./प्र.अ./दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से जारी विज्ञापन अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 27.04.2025 को उप अभियंता (वि/यां) की परीक्षा आयोजित की गयी थी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 23.07.2025 को आयोजित काउंसिलिंग में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2012/2025 एवं WPS No. 1983/2025 में पारित आदेशानुसार अभ्यर्थियों की अर्हता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण एवं काउंसिलिंग दिनांक 23.07.2025 को आयोजित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार कर दिनांक 22.08.2026 को नियुक्ति किये जाने की अनुशंसा की गयी। चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उप अभियंता (वि/यां) के पद पर वेतनमान लेवल-08, रुपये 35400-112400 प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में सूची के नीचे में दर्शित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	चयनित श्रेणी	संयुक्त मेरिट सूची क्र.	वि/यां खण्ड कार्यालय	पदस्थापना लो.स्वा. यां.(वि/यां) उपखण्ड कार्यालय
1.	SAURABH MANHAR	SANAT KUMAR MANHAR	SC	10	Bilaspur	Korba
2.	AMRIT SHENDE	N P SHENDE	SC	14	Bilaspur	Raigarh
3.	KEERTIMAN	GOVARDHAN	SC	19	Ambikapur	Ambikapur
4.	KHUSHBOO SORI	B L SORI	ST F	20	Jagadalpur	Narayanpur
5.	AMAN KHARE	R P KHARE	SC	26	Ambikapur	Baikunthpur
6.	NEERAJ MINZ	MOURICE MINZ	ST	34	Ambikapur	Jashpur
7.	SHASHI KIRAN MANDVI	SHIV PRASAD MANDVI	ST	42	Jagadalpur	Dantewada
8.	AMRITA TRIPURE	P S TRIPURE	SC F	44	Ambikapur	Balrampur
9.	ARCHANA EKKA	CHUNNU EKKA	ST	49	Jagadalpur	Bijapur
10.	MUKESH KUMAR	DARSHAN SINGH	ST	65	Jagadalpur	Sukma

यह नियुक्ति निम्न शर्तों पर मान्य होगी :-

- अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेय निरस्त मानी जायेगी।

2. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, सक्षम मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. मूल तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या मूल जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दस्तावेज अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य/फर्जी पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. अभद्रपूर्ण व्यवहार या असंतोषजनक कार्य होने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
6. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व स्वयं के व्यय पर सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और मूल स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी अनुप्रमाणन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एक माह के अंदर संबंधित कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त करना होगा, यदि पुलिस द्वारा दिये गये उनके चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीप/अपराधिक गतिविधियां पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
9. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित सेवा) की शर्तें तथा भर्ती नियम 2016 के नियम 18 अनुसार यह नियुक्ति परीक्षा अवधि पर होगी।
10. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 33/2023, क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020, दिनांक 12.09.2023 में निहित प्रावधानुसार संबंधितों को छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 03 वर्ष की परीक्षा पर रखे जाने एवं उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारित किया जायेगा, परीक्षा अवधि में वेतन के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
11. परीक्षा अवधि में पदस्थापना स्थल परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
12. अभ्यर्थी की नियुक्ति के दौरान सेवायें संतोषप्रद न पाये जाने पर किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर तथा सुनवाई के उपरांत नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा) नियम, 1960 के नियम-12 (ए) के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम का न हो देना होगा।
13. अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्युअल भाग-1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकी परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
14. उप अभियंता (वि/यां) के पद पर वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के अनुसार होगी।
15. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।



प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

- टीप:- 1. उप अभियंता (वि/यां) राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियाँ एवं चयन प्रक्रियाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक SLP(C) No. 022866-022867/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2026 एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2012/2025 एवं WPS No. 1983/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के अध्याधीन रहेगी।
2. उप अभियंता (वि/यां) राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियाँ एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

— ६२६१ —

(के.के. मरकाम)

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़, अटल नगर

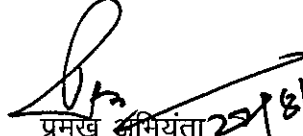
पू०क्र. 3872/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2026
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22.08.2026

1. महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर की ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक SLP(C) No. 022866-022867/2025 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2026 एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2012/2025 एवं WPS No. 1983/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर माननीय उपमुख्यमंत्री जी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, नीर भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/कोण्डागांव/वि.यां. मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कलेक्टर, जिला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (वि/यां) खण्ड रायपुर/राजनांदगांव/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि, शैक्षणिक योग्यता, सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे एवं समस्त वांछित प्रमाण पत्रों का परीक्षण उपरान्त संबंधित पदस्थापना कार्यालय में कार्य हेतु निर्देशित करे, तथा आदेश में उल्लेखित उपस्थिति अवधि के पश्चात् अभ्यर्थियों के उपस्थिति प्रतिवेदन से प्रमुख अभियंता कार्यालय को अविलंब सूचित करें।

९

9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (वि/यां) उपखण्ड, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. संबंधित चयनित अभ्यर्थी (पंजीकृत डाक से) की ओर प्रेषित कर लेख है कि, सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति संबंधित कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड में देवे।
12. कार्यालयीन आदेश।


प्रमुख अभियंता 25/8/2026
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर